



धोमान् रिटनिंग ऑफिसर महोदय, 34AC 417683
282- बलहा (हा रासित) जनपद बलहा जिला

अरविन्द कुमार

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)



202-बलहा (भारसैत) निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए

रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं अरविन्द कुमार **पुत्र/पुत्री/पत्नी शान्ता

आयु 32 वर्ष, जो ग्राम-नसीराबाद बस्ता पोस्ट धधरपुर थाना धधरपुर तहसील-मऊ नाथभोजन

पत्न्य - मऊ (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से

अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा

किया गया अभ्यर्थी ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 356-मऊ (समान्य), उ० प्र० (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में खड़ा

सं० 351 के क्रम सं० 460 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० मो० 9415414858 है/हैं और मेरा ई-मेल

आईडी (यदि कोई हो तो) कोई नहीं है।

अरविन्द कुमार

(2)

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं अरविन्द कुमार	नहीं	आयकर लागू नहीं किया जा रहा है।	आयकर विवरण दाखिल नहीं
2	पत्नी या पत्नी सुनयना	नहीं	दाखिल नहीं	दाखिल नहीं
3	आश्रित-1 कुसुमेधा	नहीं	दाखिल नहीं	दाखिल नहीं
4	आश्रित-2 कुसुमेधा	नहीं	दाखिल नहीं	दाखिल नहीं
5	आश्रित-3 अनुज	नहीं	दाखिल नहीं	दाखिल नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। ~~कभी कोई अपराध का मामला दर्ज नहीं, आरोप विरचित नहीं~~ यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। आरोप विरचित नहीं

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नहीं लागू
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	नहीं लागू

अरविन्द कुमार

(3)

(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं लागू
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई।	नहीं लागू
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे।	नहीं लागू
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं।	नहीं लागू

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :- कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं व किसी मामले में न्याय प्रणालि द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया।

(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं लागू
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	नहीं लागू
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	कोई रिवीजन फाइल नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा, (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है। ^{भोजन आदि में कमी लगी नहीं।}
यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

अरविन्द कुमार

(4)

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का बन्धन देना दिया गया है।
माम - प्राधालम द्वारा सभी दाखिल नहीं

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	नहीं लागू
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं लागू
(ग)	अधिरोपित दंड	कोई दाखिल नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	कभी दाखिल नहीं, इसलिए अपील फाइल नहीं

(7) मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे संभाल देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

- टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
- टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
- टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
- टिप्पण 4- यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
- टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

अति-5 क्रमा

(5)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी सुनपना	अश्रित-1 कुल जैसिदा	अश्रित-2 कुल सुमेधा	अश्रित-3 अनुज
i)	हाथ में नकदी	20,000/-	5000/-	नहीं	नहीं	नहीं
ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आबधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खातें भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी संस्थानों के पास जमा और प्रत्येक जमा में रकम	भारतीय स्टेट बैंक रसडी, बलिया 638902010005834 जमा मात्र 2500/- S.B. जमा खाते में ₹ 3067470858 वर्तमान ब्यौरे में ₹ 46661000.0293 में 5000/- जमा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	अंगूठी 5 ग्राम ₹ 15000/-	मोटर साइकिल ₹ 15000/- रजिस्ट्रीकरण ₹ 5000/- ₹ 5000/- वाहन का खर्च	नहीं	नहीं	नहीं
viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नहीं	₹ 5000/- नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ix)	समग्र कुल मूल्य	₹ 35250/-	₹ 45000/-	नहीं	नहीं	नहीं

अश्रित-1 कुल

(6)

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

म	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी सुनाघना	अश्रित-1 कुल जोड़िया	अश्रित-2 कुल पुत्रेधा	अश्रित-3 उत्तुज
1	भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं पिता-पिता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बजार मूल्य					
2	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	कोई प्लॉट या भवन नहीं पिता-पिता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

असति-5 कठम

(7)

1) वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	अर्जित नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कूप नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम संपत्ति पर कोई विनिधान	कोई संनिर्माण नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
अनुमानित चालू बजार मूल्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	पिप्रा 2 नमि 4 वगैरे 43 मम की 250000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	पिप्रा 2 नमि 2000000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	5000000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
अनुमानित चालू बजार मूल्य	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
1) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
1) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बजार मूल्य	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

अरवि S कृष्ण

(8)

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-
(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी पुनपना	अश्रित-1 कुजेरि	अश्रित-2 कुसुमेधा	अश्रित-3 अनुज
i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	पूर्वोक्त व्यक्ति से किन्हीं अन्य व्यक्तियों/निकायों को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ii)	सरकारी शोध्य :	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आय-कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	धनकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सेवाकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	नगरपालिका/ संपत्ति कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विक्रयकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्लित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

31/10/2019

(9)

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... ग्राम एवं समाज सेना(ख) प्रति या पत्नी..... गृहणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

इण्टरमीडिएट

(प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	<u>अरविन्द कुमार</u>
2	डाक का पूरा पता	<u>ग्राम-नसीरामाद कलापोहल परशु (खीरवाड़ा) मऊ मऊनाथमंजन जनपद-मऊ</u>
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>282-बलहा (आरासि), उप्र</u>
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	<u>सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी</u>
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	<u>कोई आरोप नहीं नामसाला अभियंता न आरोप विरचित नहीं</u>
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	<u>शून्य</u>
(6)	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष तहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	<u>शून्य</u>

अरवि-5 कुमा

(10)

(7)	स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय			
(क) अभ्यर्थी	नहीं	आय कर दाखिल नहीं	शून्य			
(ख) पति या पत्नी	नहीं	दाखिल नहीं	शून्य			
(ग) आश्रित	नहीं	दाखिल नहीं	शून्य			
8 आस्तियों और दायित्वों के बारे में (रूपये में)						
विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1 कुल जोड़	आश्रित-2 कुल जोड़	आश्रित-3 कुल जोड़	
क जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 35237	₹ 45000/2	शून्य	शून्य	शून्य	
ख स्थावर आस्तियां	कुछ नहीं					
(i)	स्वाजित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(क) स्वाजित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

अक्षर-5 अक्षर

(11)

10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है।	कोई नहीं				
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)	5 पटर मी डिग्री				

सत्यापन

मैं ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9, और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26.08.2014 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी
Identify the signature of Arvika Kumar

- टिप्पणी 1: शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 2: शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष साक्षात्कृत किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 3: शपथपत्र को भरना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति "शून्य" या लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 4: शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

26/08/2014

अभिसाक्षी

अभिसाक्षी